**राउराम बनाम सिमर्थाराम**

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीए

मुकदमा नंबर 88 / 12

जीसीएमएस नंबर 2012 / 00052

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही विवरण | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम |
|---|---|---|
| 01—09—25 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 3 उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली शामिल मिसल है। प्रकरण वर्ष 2012 से नोटिस तामील के अभाव में लम्बित चल रहा है। शेष रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु कई बार लिखा जा चुका है। पूर्व आदेशिका दिनांक 23—06—2025 व दिनांक 19—08—2025 को वास्ते रजिसर्टड नोटिस पेश व जारी एवं रशीदे पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है किन्तु आदिनांक तक किसी भी आदेशिका की पालना अमल में नही लाई गई है इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट जैरकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी पर भी अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक स्वयं को रूक—रूक कर बार—बार आवाजे लगवाई गई लेकिन उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(उम्मेद सिंह रतनू)<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>बीकानेर | |